राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

सतविन्द्र सिंह बत्रा. बनाम राजस्थान राज्य व अन्य .
(एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-1923/2013)

30.04.2014

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री नीरज बत्रा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री सुदेश सैनी, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी इस दाण्डिक विविध याचिका को इस स्वतंत्रताके साथ वापिस लेना चाहते हैं कि यदि भविष्य में आवश्यकता हुई तो वह पुन: इस न्यायालय में याचिका संस्थित कर सकेगें।

प्रार्थी को उपरोक्तानुसार स्वतंत्रता प्रदान करते हुए यह दाण्डिक विविध याचिका वापिस लिए जाने के आधार पर निरस्त की जाती है। याचिका के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी तदनुसार बलहीन हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P. S.